

परिशिष्ट-1

(पैराग्राफ 1.3 में संदर्भित)

लंबित उपयोग प्रमाणपत्र

(₹ लाख में)

| मंत्रालय/विभाग | अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2015 तक) | मार्च 2015 तक जारी अनुदान के संबंध में लंबित उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2016 तक देय थे | |
|--|--|--|------------------|
| | | संख्या | राशि |
| कृषि मंत्रालय (i) (कृषि सहकारिता विभाग) | 1992-08 | 40 | 288.00 |
| | 2008-14 | 341 | 69965.00 |
| | 2014-15 | 305 | 108174.00 |
| | कुल | 686 | 178427.00 |
| (ii) पशुपालन एवं डेयरी विभाग | 1992-08 | 0 | 0.00 |
| | 2008-14 | 121 | 11912.00 |
| | 2014-15 | 25 | 3959.00 |
| | कुल | 146 | 15871.00 |
| एचयूपीए मंत्रालय | 1992-08 | 30 | 3780.04 |
| | 2008-14 | 275 | 44574.23 |
| | 2014-15 | 238 | 260805.55 |
| | कुल | 543 | 309159.82 |
| शहरी विकास मंत्रालय | 1985-08 | 30 | 1403.91 |
| | 2008-13 | 66 | 11525.64 |
| | 2013-14 | 208 | 298437.04 |
| | कुल | 304 | 311366.59 |

| मंत्रालय/विभाग | अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2015 तक) | मार्च 2015 तक जारी अनुदान के संबंध में लंबित उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2016 तक देय थे | |
|--|--|--|-----------------|
| | | संख्या | राशि |
| प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ¹ | 1992-08 | | |
| | 2008-14 | 6 | 306.65 |
| | 2014-15 | 1 | 30.00 |
| | कुल | 7 | 336.65 |
| संस्कृति मंत्रालय | 1990-08 | 2215 | 14994.59 |
| | 2008-14 | 1415 | 23504.98 |
| | 2014-15 | 34 | 1519.98 |
| | कुल | 3664 | 40019.55 |
| पृथ्वी-विज्ञान मंत्रालय | 1983-08 | 402 | 2826.49 |
| | 2008-14 | 233 | 2497.9 |
| | 2014-15 | 262 | 21979.4 |
| | कुल | 897 | 27303.79 |
| युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय | 1987-08 | 5832 | 9191.26 |
| | 2008-14 | 389 | 30267.5 |
| | 2014-15 | 103 | 1058.52 |
| | कुल | 6324 | 40517.28 |
| महिला एवं बाल विकास मंत्रालय | 1986-08 | 4028 | 23597.91 |
| | 2008-14 | 457 | 7735.12 |
| | 2014-15 | 128 | 1703.26 |
| | कुल | 4613 | 33036.29 |

¹ अब एमईए के साथ सुमेलित

| मंत्रालय/विभाग | अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2015 तक) | मार्च 2015 तक जारी अनुदान के संबंध में लंबित उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2016 तक देय थे | |
|--|--|--|------------------|
| | | संख्या | राशि |
| अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय | 1992-08 | 12 | 51.07 |
| | 2008-14 | 385 | 3753.83 |
| | 2014-15 | 444 | 5325.76 |
| | कुल | 841 | 9130.66 |
| सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय | 1987-08 | 8500 | 46330.98 |
| | 2008-14 | 1527 | 19349.63 |
| | 2014-15 | 848 | 9790.85 |
| | कुल | 10875 | 75471.46 |
| एचआरडी मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) | 1982-08 | 1158 | 42725.32 |
| | 2008-14 | 433 | 833139.6 |
| | 2014-15 | 80 | 9637.78 |
| | कुल | 1671 | 885502.70 |
| उच्चतर शिक्षा विभाग | 1977-08 | 1737 | 21570.97 |
| | 2008-14 | 510 | 16288.77 |
| | 2014-15 | 197 | 93965.82 |
| | कुल | 2444 | 131825.56 |
| इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय | 1992-08 | 31 | 3322.94 |
| | 2008-14 | 102 | 24342.34 |
| | 2014-15 | 306 | 85687.33 |
| | कुल | 439 | 113352.61 |
| कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय | 1992-08 | 2 | 0.6 |
| | 2008-14 | 6 | 1.32 |
| | 2014-15 | - | - |

| मंत्रालय/विभाग | अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2015 तक) | मार्च 2015 तक जारी अनुदान के संबंध में लंबित उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2016 तक देय थे | |
|--------------------------|--|--|-----------------|
| | | संख्या | राशि |
| | कुल | 8 | 1.92 |
| | | | |
| पोत परिवहन मंत्रालय | 1992-08 | - | - |
| | 2008-14 | 2 | 40 |
| | 2014-15 | 1 | 9.24 |
| | कुल | 3 | 49.24 |
| | | | |
| श्रम एवं रोजगार मंत्रालय | 1979-08 | 301 | 1332.27 |
| | 2008-14 | 273 | 15647.89 |
| | 2014-15 | 198 | 4912.42 |
| | कुल | 772 | 21892.58 |
| | | | |
| औषध विभाग | 1992-08 | - | - |
| | 2008-14 | 18 | 3256.26 |
| | 2014-15 | 40 | 3729.55 |
| | कुल | 58 | 6985.81 |
| | | | |
| एमएसएमई मंत्रालय | 1992-08 | 2 | 2.2 |
| | 2008-14 | 184 | 3185.97 |
| | 2014-15 | 118 | 12731.52 |
| | कुल | 304 | 15919.69 |
| | | | |
| पर्यटन मंत्रालय | 2008-14 | 108 | 32883.22 |
| | 2014-15 | 76 | 20858.65 |
| | कुल | 184 | 53741.87 |
| | | | |
| वस्त्र मंत्रालय | 1978-08 | 771 | 3454.87 |
| | 2008-14 | 2439 | 10478.71 |

| मंत्रालय/विभाग | अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2015 तक) | मार्च 2015 तक जारी अनुदान के संबंध में लंबित उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2016 तक देय थे | |
|----------------------------------|--|--|------------------|
| | | संख्या | राशि |
| | 2014-15 | 1619 | 172320.21 |
| | कुल | 4829 | 186253.79 |
| | | | |
| वाणिज्य विभाग | 1992-08 | 10 | 198.04 |
| | 2008-14 | 38 | 9541.62 |
| | 2014-15 | 6 | 4415.67 |
| | कुल | 54 | 14155.33 |
| | | | |
| उपभोक्ता कार्य विभाग | 1992-08 | 36 | 31.7 |
| | 2008-14 | 31 | 514.44 |
| | 2014-15 | 14 | 851.08 |
| | कुल | 81 | 1397.22 |
| | | | |
| खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग | 1992-08 | - | - |
| | 2008-14 | 8 | 1224.8 |
| | 2014-15 | 8 | 1474.67 |
| | कुल | 16 | 2699.47 |
| | | | |
| खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय | 1991-08 | 883 | 9936.81 |
| | 2008-14 | 956 | 14972.03 |
| | 2014-15 | 169 | 12885.82 |
| | कुल | 2008 | 37794.66 |
| | | | |
| भारी उद्योग विभाग | 1992-08 | 2 | 8020 |
| | 2008-14 | 6 | 97485 |
| | 2014-15 | 7 | 24687.65 |
| | कुल | 15 | 130192.65 |
| | | | |

| मंत्रालय/विभाग | अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2015 तक) | मार्च 2015 तक जारी अनुदान के संबंध में लंबित उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2016 तक देय थे | |
|------------------------------|--|--|------------------|
| | | संख्या | राशि |
| लोक उद्यम विभाग | 1992-08 | | |
| | 2008-14 | 19 | 129.72 |
| | 2014-15 | 16 | 124.36 |
| | कुल | 35 | 254.08 |
| पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय | 1992-08 | 1 | 45.88 |
| | 2008-14 | 18 | 17021.73 |
| | 2014-15 | 6 | 9562.41 |
| | कुल | 25 | 26630.02 |
| रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग | 2008-14 | 18 | 1908.57 |
| | 2014-15 | 13 | 1003.14 |
| | कुल | 31 | 2911.71 |
| विधि एवं न्याय मंत्रालय | 1992-08 | | |
| | 2008-14 | 2 | 62500 |
| | 2014-15 | 5 | 250000 |
| | कुल | 7 | 312500.00 |
| जनजातीय कार्य मंत्रालय | 1992-08 | 0 | 0.00 |
| | 2008-14 | 162 | 33493.58 |
| | 2014-15 | 206 | 96690.1 |
| | कुल | 368 | 130183.68 |
| पीपीजी एवं पेंशन मंत्रालय | 1992-08 | 1 | 0.05 |
| | 2008-14 | 23 | 66.55 |
| | 2014-15 | 27 | 199.26 |
| | कुल | 51 | 265.86 |

| मंत्रालय/विभाग | अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2015 तक) | मार्च 2015 तक जारी अनुदान के संबंध में लंबित उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2016 तक देय थे | |
|----------------|--|--|-------------------|
| | | संख्या | राशि |
| खान मंत्रालय | 1992-08 | 0 | 0.00 |
| | 2008-14 | 1 | 3.04 |
| | 2014-15 | 10 | 159.41 |
| | कुल | 11 | 162.45 |
| कुल योग | | 42314 | 3115312.99 |

परिशिष्ट - II

(पैराग्राफ 1.4 में संदर्भित)

ऐसे निकायों की सूची जिन्होंने तीन महीने की देरी के बाद लेखाओं को जमा किया

| क्र.सं. | स्वायत्त निकायों का नाम | लेखाओं को जमा करने की तिथि | महीनों में विलंब |
|---------|--|----------------------------|------------------|
| 1. | उत्तर-मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, इलाहाबाद | 29.10.2015 | 3 |
| 2. | उत्तर-पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर | 4.11.2015 | 4 |
| 3. | विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता | 1.12.2015 | 5 |
| 4. | ए.बी. वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर | 4.12.2015 | 5 |
| 5. | झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची | 6.10.2015/अस्वीकृत | 3 |
| 6. | सभ्यता अध्ययन केंद्र, नई दिल्ली | 24.11.2015 | 4 |
| 7. | भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली | 8.10.2015 | 3 |
| 8. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली | 6.11.2015 | 4 |
| 9. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई | 12.10.2015 | 3 |
| 10. | मणिपुर विश्वविद्यालय, इंफाल | 1.10.2015 | 3 |
| 11. | दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली | 13.10.2015 | 3 |
| 12. | नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, इंफाल | 2.12.2015 | 5 |
| 13. | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़ | 30.11.2015 | 4 |
| 14. | राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, चेन्नई | 19.10.2015 | 3 |
| 15. | लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, क्वारत्ती | 18.12.2015 | 5 |
| 16. | केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल | 15.1.2016 | 6 |
| 17. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोझिकोड (कालीकट) | 17.3.2016 | 8 |
| 18. | राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली | 8.1.2016 | 6 |

परिशिष्ट -III

(पैराग्राफ 1.5 में संदर्भित)

वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए लेखापरीक्षा किए गए लेखे के संबंध में ऐसे स्वायत्त निकायों की सूची जिन्हें 31 अक्टूबर 2016 को संसद में पेश नहीं किया गया था

| क्र.सं. | स्वायत्त निकायों का नाम (मंत्रालय-वार) |
|------------------------------------|---|
| वर्ष 2012-13 के लिए | |
| वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | |
| 1. | मद्रास विशेष आर्थिक क्षेत्र |
| 2. | निर्यात निरीक्षण अभिकरण, चेन्नई |
| 3. | निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोच्ची |
| 4. | निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोलकाता |
| 5. | निर्यात निरीक्षण अभिकरण, मुम्बई |
| 6. | निर्यात निरीक्षण अभिकरण, नई दिल्ली |
| 7. | भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली |
| 8. | नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण |
| 9. | विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण |
| आयुष मंत्रालय | |
| 10. | पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा संस्थान |
| 11. | उत्तर पूर्वी आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान |
| वर्ष 2013-14 के लिए | |
| वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | |
| 1. | निर्यात निरीक्षण अभिकरण, चेन्नई |
| 2. | निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोच्ची |
| 3. | निर्यात निरीक्षण अभिकरण, नई दिल्ली |
| 4. | निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोलकाता |
| 5. | निर्यात निरीक्षण अभिकरण, मुम्बई |
| 6. | निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली |
| 7. | विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, विशाखापत्तनम |

| क्र.सं. | स्वायत्त निकायों का नाम (मंत्रालय-वार) |
|---|--|
| आयुष मंत्रालय | |
| 8. | उत्तर पूर्वी लोक चिकित्सा संस्थान |
| 9. | पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान |
| वर्ष 2014-15 के लिए | |
| रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय | |
| 1. | राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता |
| 2. | राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली |
| वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | |
| 3. | निर्यात निरीक्षण अभिकरण, नई दिल्ली |
| 4. | निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली |
| 5. | नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (एनएसईजेड) |
| 6. | विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, विशाखापत्तनम |
| भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय | |
| 7. | राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना कार्यान्वयन सोसाइटी (एनीटसएईआ) |
| आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय | |
| 8. | लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड |
| एचआरडी मंत्रालय/उच्चतर शिक्षा विभाग | |
| 9. | पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलोंग |
| 10. | राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलोंग |
| विद्युत मंत्रालय | |
| 11. | राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद |
| संस्कृति मंत्रालय | |
| 12. | नव नालंदा महाविहार नालंदा |
| 13. | पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र उदयपुर |

परिशिष्ट -IV

(पैराग्राफ 1.5 में संदर्भित)

वर्ष 2014-15 के लिए लेखापरीक्षित लेखाओं का स्वायत्त निकायों द्वारा संसद को प्रस्तुति में विलंब

| क्र.सं. | स्वायत्त निकायों का नाम (मंत्रालय वार) | लेखापरीक्षित लेखाओं का वर्ष | माह में विलंब |
|--|--|-----------------------------------|------------------|
| कृषि मंत्रालय | | | |
| 1. | तटीय जलीय संस्कृति प्राधिकरण, चेन्नई | 2014-15 | 2 |
| 2. | राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद | 2014-15 | 2 |
| आयुष मंत्रालय | | | |
| 3. | केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली | 2014-15 | 3 |
| 4. | मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली | 2014-15 | 4 |
| 5. | केंद्रीय भारतीय औषधि परिषद | 2014-15 | 3 |
| संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय | | | |
| 6. | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण | 2014-15 | 4 |
| संस्कृति मंत्रालय | | | |
| 7. | खुदा बख्श ओरियंटल पब्लिक पुस्तकालय, पटना | 2013-14 | 4 |
| 8. | राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली | 2013-14 | 7 |
| 9. | कलाश्रेष्ठ फाउंडेशन, चेन्नई | 2014-15 | 2 |
| 10. | खुदा बख्श ओरियंटल पब्लिक पुस्तकालय, पटना | 2014-15 | 2 |
| 11. | राजा राम मोहन रॉय पुस्तकालय फाउंडेशन, कोलकाता | 2014-15 | 2 |
| 12. | सलारजंग संग्रहालय बोर्ड, हैदराबाद | 2014-15 | 2 |
| 13. | दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, थंजावुर | 2014-15 | 7 |
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय | | | |
| 14. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर | 2014-15 | 3 |
| 15. | भारतीय दंत-चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली | 2014-15 | 2 |
| 16. | राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली | 2014-15 | 4 |

| एचआरडी मंत्रालय | | | |
|---------------------------------------|---|---------|---|
| 17. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलोर | 2014-15 | 2 |
| 18. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता | 2014-15 | 4 |
| 19. | भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल | 2014-15 | 4 |
| 20. | भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे | 2014-15 | 4 |
| 21. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर | 2014-15 | 2 |
| 22. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर | 2014-15 | 2 |
| 23. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर | 2014-15 | 2 |
| 24. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना | 2014-15 | 2 |
| 25. | मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर | 2014-15 | 2 |
| 26. | राष्ट्रीय फाउंड्री एवं फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान, धनबाद | 2014-15 | 4 |
| 27. | राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता | 2014-15 | 4 |
| 28. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर | 2014-15 | 2 |
| 29. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा | 2014-15 | 2 |
| 30. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर | 2014-15 | 2 |
| 31. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सुरथकल | 2014-15 | 2 |
| 32. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल. | 2014-15 | 2 |
| 33. | संत लॉगोवाल अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लॉगोवाल | 2014-15 | 4 |
| 34. | योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा | 2014-15 | 2 |
| 35. | विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर | 2014-15 | 4 |
| 36. | केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, नई दिल्ली | 2014-15 | 4 |
| सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय | | | |
| 37. | खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग | 2014-15 | 2 |
| पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय | | | |
| 38. | राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, राय बरेली | 2014-15 | 2 |
| ग्रामीण विकास मंत्रालय | | | |
| 39. | लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद, नई दिल्ली (कपार्ट) | 2014-15 | 4 |

| सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय | | | |
|--------------------------------------|---|---------|----|
| 40. | राष्ट्रीय मानसिक विकलांगता संस्थान, हैदराबाद | 2014-15 | 2 |
| 41. | भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली | 2014-15 | 2 |
| 42. | स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक | 2014-15 | 2 |
| महिला एवं बाल विकास मंत्रालय | | | |
| 43. | राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली | 2013-14 | 12 |

परिशिष्ट - V

(पैराग्राफ 1.6 के संदर्भ में)

अलग-अलग केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं के संबंध में महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां

1. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

(i) स्थायी परिसम्पत्तियां- ₹1186.35 करोड़

इसमें सीपीडब्ल्यूडी, वाराणसी को 2015-16 के दौरान निर्माण गतिविधियों हेतु प्रदान किए गए ₹65.44 करोड़ का अग्रिम शामिल है तथा पूर्ण राशि को शीर्ष 'बिल्डिंग'के अंतर्गत पूंजीकृत किया गया था। इसका परिणाम शीर्ष बिल्डिंग के अंतर्गत परिसम्पत्तियों के अधिक बताए जाने तथा तुलन पत्र की चालू परिसम्पत्तियों के अंतर्गत ₹65.44 करोड़ तक आग्रमों को कम बताए जाने में हुआ। विश्वविद्यालय द्वारा ₹1.31 करोड़ के मूल्यहास को भी अधिक प्रभारित किया गया था।

(ii) सामान्य

मार्च 2016 की बैंक समाधान विवरणी के अनुसार कुल ₹11.23 करोड़ के 799 समय बाधित चैकों को रद्द नहीं किया गया था तथा रोकड़ बही में वापिस नहीं लिखा था। इसका परिणाम प्राप्तियों तथा अंत शेष दोनों में ₹11.23 करोड़ तक कम बताए जाने में हुआ।

2. केन्द्रीय तिब्बतीय अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी

स्थायी परिसम्पत्तियां- ₹44.28 करोड़

नवीकरण कार्य पर किए गए ₹1.54 करोड़ के व्यय को पूंजीगत के स्थान पर राजस्व व्यय के रूप में माना गया था। इसका परिणाम ₹1.54 करोड़ तक 'आधिक्य' को कम बताए जाने में हुआ। परिणामस्वरूप 'स्थायी परिसंपत्तियों' तथा 'पूंजीगत निधि' को भी उस सीमा तक कम बताया गया था। इस विषय पर पिछले वर्ष भी सूचित किया गया था।

3. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर

सामान्य

नोएडा प्लॉटों में ₹9.35 करोड़ की कुल पट्टा भूमि राशि का पट्टा अवधि पर परिशोधन किया जाना चाहिए था परंतु संस्थान ने उपरोक्तित प्रावधानों के उल्लंघन में ₹9.35 करोड़ के पट्टा प्रीमियम के स्थान पर ₹2.57 करोड़ (वार्षिक किराया ₹2.86 लाख) के एकबार पट्टा किराया का परिशोधन किया।

4. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश

चालू देयताएं तथा प्रावधान - ₹16.40 करोड़

उपर्युक्त शीर्ष को जीओआई से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान को न दर्शाने से ₹186.72 करोड़ तक कम बताया गया था। इसका परिणाम उसी राशि तक सामान्य रिजर्व को अधिक बताए जाने में भी हुआ है।

5. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

(i) मूर्त परिसम्पत्तियां- ₹2541.73 करोड़

विश्वविद्यालय ने चालू/प्रगतिशील परियोजनाओं से संबंधित ₹6.49 करोड़ (पुस्तके- ₹0.70 करोड़ तथा उपकरण- ₹5.78 करोड़) की स्थायी परिसम्पत्तियों को विश्वविद्यालय की 'स्थायी परिसंपत्तियों' में शामिल किया। चूंकि स्थायी परिसंपत्तियों चालू/प्रगतिशील परियोजनाओं से संबंधित थी इसलिए इन्हें परियोजनाओं की परिसम्पत्तियों के रूप में माना जाना चाहिए था न कि विश्वविद्यालय की। इसका परिणाम ₹6.13 करोड़ (पुस्तके- ₹0.63 करोड़ तथा उपकरण- ₹5.49 करोड़) तक स्थायी परिसंपत्तियों को अधिक बताए जाने तथा ₹0.36 करोड़ (पुस्तके- ₹0.07 करोड़ तथा उपकरण- ₹0.29 करोड़) तक मूल्यहास को अधिक प्रभारित करने में हुआ।

(ii) प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

वर्ष 2015-16 के प्राप्ति एवं भुगतान लेखे के प्रारम्भिक शेष में विश्वविद्यालय ने ₹6.04 करोड़ वाले 10 खातों को दर्शाया था जिन्हें वर्ष 2014-15 के प्राप्ति एवं भुगतान लेखे के अंत शेष में नहीं दर्शाया गया था।

6. असम विश्वविद्यालय, सिलचर

(i) चालू देयताएं तथा प्रावधान: ₹98.83 करोड़

उपरोक्त राशि को छात्रावास अनुरक्षण निधि (₹2.69 लाख), एसओटी अनुदान (₹3.93 करोड़), ओबीसी अनुदान (₹6.68 करोड़) के अंतर्गत कुल ₹10.65 करोड़ के नकारात्मक शेषों तथा कुल ₹0.02 करोड़ तक आयकर के अधिक जमा का समायोजन करने के पश्चात प्राप्त किया गया था। इसका परिणाम ₹10.65 करोड़ तक दोनों चालू देयताओं तथा प्रावधान के साथ-साथ ऋण, अग्रिम एवं जमा को कम बताए जाने में हुआ था। पहले के वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेख करने के बावजूद विश्वविद्यालय द्वारा कोई शोधक उपाय नहीं किए गए थे।

(ii) ऋण, अग्रिम एवं जमा: ₹29.10 करोड़

दीपहू परिसर में सीपीडब्ल्यूडी द्वारा नवम्बर 2008 से अक्टूबर 2009 के बीच ₹3.10 करोड़ के मूल्य के चार सिविल निर्माण कार्यों के समापन तथा जनवरी 2013 में एपीडीसीएल द्वारा ₹0.10 करोड़ की कीमत के मुख्य परिसर की विद्युत संस्थापनाओं के समापन के बावजूद अग्रिम राशि को स्थायी परिसम्पत्तियों को अंतरित करके इसका समायोजन नहीं किया गया था। पिछले वर्ष के प्रतिवेदन में उल्लेख करने के बावजूद विश्वविद्यालय ने कोई शोधक कार्रवाई नहीं की थी। इसका परिणाम ₹3.10 करोड़ की निर्धारित परिसम्पत्तियों को कम बताए जाने में भी हुआ।

7. केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार, असम

प्रगति पर पूंजीगत कार्य: ₹147.00 करोड़

पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेख के बावजूद ₹67.78 करोड़ के भवन तथा अवसंरचनात्मक निर्माणकार्यों (वास्तुशिल्प शुल्क -₹1.77 करोड़ सहित) जो समाप्त हो चुके थे तथा पिछले 1 से 7 वर्षों से उपयोग में लाया गया था, के मूल्य को मूर्त परिसम्पत्तियों को अंतरित नहीं किया गया था। उसका परिणाम ₹67.78 तक प्रगति पर पूंजीगत निर्माण कार्यों का अधिक बताए जाने के साथ समान राशि तक निर्धारित परिसम्पत्तियों के अनुरूप कम बताए जाने में हुआ था।

8. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी

चालू परिसम्पत्तियां: ₹10.39 करोड़

चालू खातों में प्रकट हो रहे ₹4.32 करोड़ के नकारात्मक शेष को चालू देयताओं एवं प्रावधानों (बैंक ओवरड्राफ्ट) के अंतर्गत दर्शाने के बजाए अन्य खातों/सावधि जमाओं में सकारात्मक बैंक शेषों के प्रति समायोजित किया गया था। इसका परिणाम ₹4.32 करोड़ तक दोनों चालू परिसम्पत्तियों तथा चालू देयताओं एवं प्रावधानों के कम बताए जाने में हुआ था।

9. राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, कोलकाता

ऋण, अग्रिम एवं जमा: ₹497.08 लाख

सीपीडब्ल्यूडी को अदा किए गए कुल ₹3.21 करोड़ के अग्रिम को ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत दर्शाने के बजाए, कार्य के समापन न करने के साथ-साथ उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति के बिना पूंजीकृत किया गया था। इसका परिणाम ₹3.21 करोड़ तक ऋण, अग्रिम एवं जमाओं के कम बताए जाने तथा निर्धारित परिसम्पत्तियों (पूंजीगत निर्माण कार्य प्रगति पर) के अधिक बताए जाने में हुआ।

10. तेजपुर विश्वविद्यालय, नापम, तेजपुर (असम)

पूंजीगत निधि: ₹370.03 करोड़

उपर्युक्त राशि को, अप्रयुक्त योजनागत अनुदान को प्रयुक्त के रूप में माने जाने के कारण ₹16.06 करोड़ तक अधिक बताया गया था। इसका परिणाम ₹16.06 करोड़ तक चालू देयताओं तथा प्रावधानों को कम बताए जाने में भी हुआ था।

11. मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद

नामित/चिन्हित/अक्षय निधियां: ₹34.62 करोड़

‘नामित/चिन्हित निधि-अन्य’ तथा ‘एएससी’ के संबंध में ₹5.23 करोड़ का नकारात्मक शेष (निधियों में से अधिक व्यय की गई राशि) निधियन अभिकरण, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से अधिक व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति हेतु प्राधिकरण तथा अनुमोदन के बिना, वसूलनीय के रूप में ऋण, अग्रिम एवं जमा को अंतरित किया गया था। इसका परिणाम ₹5.23 करोड़ तक प्रत्येक नामित/चिन्हित निधियों तथा ऋण, अग्रिम एवं जमा को अधिक बताए जाने में हुआ था।

12. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल

ऋण, अग्रिम एवं जमा : ₹123.44 करोड़

इसमें जमा निर्माण कार्यों पर व्यय की गई ₹68.38 करोड़ की राशि शामिल है जिसे सीपीडब्ल्यूडी द्वारा व्यय के रूप में सूचित किया गया था तथा जिसे, प्रगति पर पूंजीकृत निर्माण कार्य के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया था। इसका परिणाम ₹68.38 करोड़ तक ऋण, अग्रिम एवं जमा के अधिक बताए जाने तथा प्रगति पर पूंजीगत निर्माण कार्य के कम बताए जाने में हुआ।

13. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति

ऋण, अग्रिम एवं जमा: ₹34.50 करोड़

इसमें बाईस (22) जमा निर्माण कार्यों, पर किया गया ₹14.51 करोड़ का व्यय शामिल है जिसे सीपीडब्ल्यूडी द्वारा पूर्ण तथा अंतिम बिल अदा किया गया सूचित किया गया था परंतु इसे अभी भी पूंजीकृत नहीं किया गया है। इसका परिणाम ₹14.51 करोड़ तक ऋण, अग्रिम एवं जमा के अंतर्गत सीपीडब्ल्यूडी का अग्रिम के अधिक बताए जाने तथा स्थायी परिसम्पत्तियों के कम बताए जाने में हुआ।

14. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर

स्थायी परिसम्पत्तियां: ₹169.18 करोड़

इसमें पूर्ण किए जमा निर्माण कार्यों, जिन्हें जुलाई 2015/जनवरी 2016 से उपयोग में लाया गया था परंतु पूंजीकृत नहीं किया गया था, पर ₹121.14 करोड़ का व्यय शामिल नहीं है। इसका परिणाम ₹121.14 करोड़ तक स्थायी परिसम्पत्तियों के कम बताए जाने तथा प्रगति पर पूंजीगत निर्माण कार्यों के अधिक बताए जाने तथा इस पर मूल्यहास को कम बताए जाने में हुआ है।

15. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना

स्थायी परिसम्पत्तियां: ₹259.64 करोड़

स्थायी परिसम्पत्तियों पर प्रदान मूल्यहास को संस्थान द्वारा सीधी कटौती प्रणाली (एसएलएम) जैसा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की सारणी 23 (4च) तथा लेखा टिप्पण की सारणी 24(4) में बताया गया है, के बजाए हासित मूल्य (डब्ल्यूडीवी) पद्धति द्वारा परिकलित किया गया था। इस प्रकार संस्थान ने एक वर्ष हेतु स्थायी परिसम्पत्तियों पर ₹10.18 करोड़ के बजाए ₹6.84 करोड़ का मूल्यहास प्रदान किया जिसका परिणाम ₹3.34 करोड़ तक स्थायी परिसम्पत्तियों के अधिक बताए जाने तथा इसी राशि तक आय एवं व्यय लेखे में व्यय के कम बताए जाने में हुआ।

16. भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलोर

मूर्त परिसम्पत्तियां: ₹1213.51 करोड़

₹7.68 करोड़ की परिसम्पत्तियां (वैज्ञानिक उपकरण) जिन्हें 31 मार्च 2016 की समाप्ति तक संस्थापित नहीं किया गया है उन्हें गलत प्रकार से स्थायी परिसम्पत्तियों के अंतर्गत दर्ज किया गया

था। परिणामस्वरूप स्थायी परिसम्पत्तियों को ₹7.68 करोड़ तक अधिक तथा इसी राशि तक ऋण, अग्रिम एवं जमा को कम बताए गए थे।

17. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला

प्रगति पर पूंजीगत कार्य - ₹450.72 करोड़ (योजनागत) एवं ₹5.26 करोड़ (गैर-योजनागत)

उपर्युक्त शीर्षों को 13 निर्माण कार्यों का मूर्त परिसम्पत्तियों को अंतरण न किए जाने के कारण ₹175.43 करोड़ तक अधिक बताया गया था यद्यपि इन्हें निर्माण गतिविधियों के समापन के पश्चात जनवरी 2011 से मई 2015 के बीच एनआईटी, अगरतला द्वारा पहले ही अधिकार में ले लिया गया था। इसका परिणाम ₹169.19 करोड़ (योजनागत: ₹168.49 करोड़ तथा गैर-योजनागत: ₹0.70 करोड़) तक मूर्त परिसम्पत्तियों के कम बताए जाने तथा ₹6.24 करोड़ (योजनागत: ₹6.16 करोड़ तथा गैर-योजनागत: ₹0.08 करोड़) तक संचित मूल्यहास के कम बताए जाने में भी हुआ है।

18. त्रिपुरा विश्वविद्यालय

बचत खाते - ₹45.01 करोड़

उपर्युक्त में कुल ₹2.55 करोड़ के मूल्य वाले 7 बैंक खातों से संबंधित 289 अवसित चैक शामिल नहीं है जिन्हें 4 नवम्बर 2011 को जारी आरबीआई के निर्देश के अनुसार 3 माह की वैध अवधि के समाप्ति के कारण दोबारा लिखे जाने की आवश्यकता थी। इसका परिणाम ₹2.55 करोड़ तक देयता के संगत कमकथन सहित ₹2.55 करोड़ तक चालू परिसंपत्तियों के कम बताने में हुआ है जिनके प्रति वास्तव में चैक जारी किए गए थे परंतु अदेय रहे थे।

19. पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलोंग

लेखांकन प्रणाली जिसे यूएलएस प्लेटफार्म पर कम्प्यूटरीकृत किया गया था, लेखाओं को पूर्णतः तथा उचित प्रकार से तैयार नहीं कर सकी थी। अब तक उपयुक्त लेखा पुस्तिकाओं के अनुरक्षण के संबंध में गंभीर संदेह है जैसा ऐसी पुस्तिकाओं की हमारी जांच से प्रकट होता है जैसा नीचे बताया है:

(क) प्रारंभिक तथा अंत शेष को यूएमएस प्लेटफार्म, लेखांकन साफ्टवेयर जिसे अभी भी स्थिर नहीं किया गया था, के कारण उचित रूप से शामिल नहीं किया गया।

(ख) ₹3.27 करोड़ की चालू देयताओं का गलत परिकलन, लेखों में दर्शाई गई ₹54.30 करोड़ की लापता देयताएं, ₹3.01 करोड़ के व्यय का लेखा में दर्ज न होना तथा ₹5.57 लाख तक मूल्यहास का गलत परिकलन।

- (ग) बैंक शेष का उचित प्रकार से मिलान न करना अर्थात् बैंक को रद्द न करना जो समय बाधित था तथा मार्च 2015 से पूर्व बैंकों में जमा किये गए ₹5.08 करोड़ के बैंकों को बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं किया गया था।
- (घ) 1993-94 से 2015-16 तक बैंकों में बड़ी संख्या में बैंक जमा किए गए थे परंतु बैंकों द्वारा कोई क्रेडिट प्रदान नहीं किया गया था।
- (ङ) 1985-86 से 2015-16 तक बड़ी संख्या में बैंक जमा किये गए जिन्हें आज तक भुनाया नहीं गया है तथा जिन्हें लेखे में वापस नहीं लिया गया है।

20. इंदिरा गांधी उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान (एनईआईजीआरआईएचएमएस), शिलोंग

निवेश-अन्य: ₹21.26 करोड़

उपरोक्त बैंकों में सावधि जमा के रूप में रखे शेष को दर्शाता है। इसके प्रति, 31 मार्च 2016 को बैंकों में सावधि जमा में वास्तविक राशि ₹23.05 करोड़ थी। इसका परिणाम ₹1.79 करोड़ तक प्रत्येक निवेश-अन्य के कम बताए जाने तथा “उपार्जित आय” के अधिक बताए जाने में हुआ है।

21. राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलोंग

मूल्यहास: ₹8.48 करोड़

उपरोक्त में 33 प्रतिशत की दर पर परिकल्पित सीमा दीवार पर मूलहास होने से ₹2.48 करोड़ शामिल है। इसके प्रति, 2 प्रतिशत की निर्धारित दर से प्रभारित किए जाने वाला मूल्यहास ₹0.15 करोड़ था। इसका परिणाम वर्ष के दौरान ₹2.33 करोड़ तक मूल्यहास के अधिक बताए जाने तथा आधिक्य को कम बताए जाने में हुआ।

22. उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईएसटी)

चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि : ₹43.34 करोड़

उपरोक्त में वर्ष 2015-16 हेतु संस्वीकृत ₹132.73 करोड़ की राशि के कुल अनुदान में से अप्रैल 2016 के दौरान प्राप्त शीर्ष “प्राप्य अनुदान” के अंतर्गत कुल ₹49.58 करोड़ की योजनागत तथा गैर-योजनागत अनुदाने शामिल नहीं हैं। शीर्ष “प्राप्य अनुदान” के अंतर्गत प्राप्य अनुदान राशि को दर्ज न करने तथा अनुदान की कुल संस्वीकृत राशि को वर्तमान वर्ष की रोकड़ बही में पहले ही दर्ज करने

का परिणाम ₹49.58 करोड़ सीमा तक तुलन पत्र में “प्राप्य अनुदान” के कम बताए जाने तथा “बैंक में शेष” के अधिक बताए जाने में हुआ।

23. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोट (अरुणाचल प्रदेश)

(i) स्थायी परिसम्पत्तियां: ₹41.06 करोड़

उपरोक्त में वर्ष 2015-16 हेतु मूर्त तथा अमूर्त परिसम्पत्तियों पर प्रभारित मूल्यहास प्रभारित होने से ₹2.98 करोड़ शामिल है। लेखाओं के स्वीकृत प्रारूप के अनुसार, स्थायी परिसम्पत्तियों को मूल्यहास का निवल दर्शाया जाना है। स्थायी परिसम्पत्तियों के सकल मूल्य से मूल्यहास की गैर-कटौती का परिणाम ₹2.98 करोड़ की सीमा तक “स्थायी परिसम्पत्तियों” के अधिक बताए जाने में हुआ।

(ii) प्राप्त अनुदान: ₹120 करोड़

उपरोक्त में वर्ष 2015-16 हेतु एनआईटी, अरुणाचल प्रदेश के लिए संस्वीकृत ₹20 करोड़ का अनुदान शामिल है परंतु इसे अप्रैल 2016 के दौरान प्राप्त किया गया था। चूंकि प्राप्ति एवं भुगतान लेखा नगद आधार पर तैयार किया जाता है इसलिए ₹20 करोड़ के अनुदान की उपर्युक्त प्राप्ति को वर्तमान वर्ष की प्राप्तियों में दर्ज नहीं किया जाना चाहिए था जिसने ₹20 करोड़ की सीमा तक “प्राप्त अनुदान” तथा “बैंक में नगद का अंत शेष” को अधिक बताया।

24. भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद

(i) निवेश- ₹28.12 करोड़ पर उपार्जित आय

उपरोक्त लेखे को सावधि जमाओं पर त्रैमासिक संचयी आधार, जैसे बैंको द्वारा प्रस्तावित किया गया था, के बजाए सामान्य ब्याज के रूप में उपार्जित ब्याज के परिकलन के कारण ₹1.51 करोड़ तक कम बताया गया है। इसका परिणाम निवेशो से वर्तमान वर्ष की आय में ₹1.10 करोड़ तथा पूर्वावधि आय में ₹40.27 लाख के कम बताए जाने में भी हुआ है।

इस प्रकार निवेशों से आय तथा पूर्वावधि आय के कम कथन को 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय विवरणी में क्रमशः ₹15.05 लाख तथा ₹5.50 लाख तथा 31 मार्च 2016 को तुलन पत्र की नामित/चिन्हित/अक्षय निधि में ₹1.30 करोड़ तक परिकलित किया गया।

(ii) अन्य - विविध प्राप्तियां (अनुसूची सं. 10) - ₹2.46 करोड़

लेखांकन मानक-5 के अनुसार, "अवधि, पूर्वावधि मदों हेतु निवल लाभ या हानि तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन", पूर्वावधि मदें आय अथवा अधिक पूर्वाविधियों की अंतिम विवरणियां तैयार करने में गलतियों या चूकों के परिणामस्वरूप वर्तमान अवधि में उजागर होती हैं। जून 2013 में आईआईएम-अहमदाबाद परिसर में आग लगी थी। तदनुसार, बीमा कम्पनी को दावा प्रस्तुत किया गया था परंतु बीमा दावा के लिए लेखा पुस्तिकाओं में कोई प्रविष्टि पारित नहीं की गई थी। 2015-16 के दौरान आईआईएम-अहमदाबाद ने ₹53.04 लाख की राशि प्राप्त की थी जिसको पूर्वावधि आय के रूप में दर्ज किए जाने के बजाए अन्य आय (अनुसूची-12) के अन्तर्गत विविध आय में दर्ज किया गया था। इसका परिणाम ₹53.04 लाख की सीमा तक अन्य आय के अधिक बताए जाने तथा पूर्वावधि आय के कम बताए जाने में हुआ है।

25. गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर

प्रगति पर पूंजीगत निर्माण कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) - ₹2.72 करोड़

उपर्युक्त राशि में केन्द्रीय सार्वजनिक कार्य विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) गांधीनगर को दिए गए ₹1.92 करोड़ का अग्रिम शामिल हैं, तथा समान राशि को सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम के तहत पूंजीगत लेखे में भी दर्शाना चाहिए। इसका परिणाम ₹1.92 करोड़ तक सीडब्ल्यूआईपी के अधिक बताने और ऋण एवं अग्रिमों (अनुसूची-8) के कम बताने में हुआ।

26. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर (आईआईटीजे)

प्रगति पर पूंजीगत कार्य ₹200.59 करोड़

₹2.02 करोड़ राशि का "अस्थायी अकादमी परिसर में अस्थायी पोर्टा केबिन संरचना के निर्माण के कार्य," जो सीपीडब्ल्यूडी द्वारा पूर्ण किया गया था और 22 जनवरी 2013 को आईआईटीजे द्वारा अधिकृत कर लिया गया था, को ₹2.02 करोड़ तक अधिक बताया गया था। परिणामस्वरूप 2012-13 से 2015-16 तक 4 वर्षों हेतु 7.5% (एसएलएम) की दर पर कोई मूल्यहास अर्थात् ₹60.56 लाख (2012-13 से 2015-16 तक प्रत्येक वर्ष के लिए ₹15.14 लाख) को इन परिसम्पत्तियों पर प्रभारित नहीं किया जा सका था। इसका परिणाम ₹141.32 लाख (₹201.88 लाख - ₹60.56 लाख) तक निर्धारित परिसम्पत्तियों, ₹60.56 लाख तक घाटे के कम बताए जाने तथा ₹201.88 लाख तक प्रगति पर पूंजीगत कार्य के अधिक बताए जाने में हुआ।

27. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर

स्थायी परिसम्पत्तियां: ₹87.35 करोड़ (अनुसूची-8)

उपरोक्त में दिनांक 09 मार्च 2016 में, आदेश के माध्यम से मार्च 2016 में कुल ₹271.55 लाख का आईपीडी उपकरण खरीदा गया तथा स्थायी स्टाक रजिस्टर में दर्ज किया गया, फिर भी भुगतान नहीं किया गया था, शामिल नहीं हैं। इसका परिणाम ₹71.55 लाख तक स्थायी परिसम्पत्तियों के साथ चालू देयताओं के कम बताए जाने में हुआ।

28. वस्त्र समिति

चिन्हित निधियां (अनुसूची-3): ₹9.85 करोड़

वस्त्र समिति ने गिनिंग एवं प्रैसिंग यूनिट के निर्धारण तथा श्रेणीकरण के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से ₹4.50 करोड़ की राशि प्राप्त (25 मार्च 2011) की थी। इसमें से, समिति ने वर्ष 2015-16 के दौरान एसबीआई, वर्ली (उत्तर), मुंबई में सावधि जमा में ₹50 लाख का पुनर्निवेश किया था। उपरोक्त राशि को लेखा बहियों के बाहर रखा गया है। इसलिए चिन्हित निधि तथा चिन्हित निधि से निवेश को ₹50 लाख तक कम बताया गया है।

29. मुंबई पत्तन न्यास (एमबीपीटी)

वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान - ₹4647.76 करोड़

(i) एमबीपीटी ने सेवानिवृत्ति लाभ में कुल ₹3514.47 करोड़ के घाटे का प्रावधान नहीं किया है। इसका परिणाम ₹3514.47 करोड़ तक वर्तमान देयताओं तथा हानि को कम बताए जाने में हुआ है।

(ii) 31 मार्च 2016 को ₹7436.75 करोड़ की कार्पस निधि के प्रति निवेश केवल ₹7316.83 करोड़ के थे जिसका परिणाम ₹119.92 करोड़ तक कार्पस निधि के निवेश में कमी में हुआ।

30. चैन्नई पत्तन न्यास (सीपीटी)

सेवानिवृत्ति लाभ - ₹279.48 करोड़

31 मार्च 2016 को मौजूद कर्मचारियों तथा मौजूद पेंशनधारियों हेतु एलआईसी द्वारा पेंशन तथा उपदान देयताओं पर बीमांकिक मूल्य के अनुसार पेंशन तथा उपदान निधि हेतु देयताओं को ₹4646.60 करोड़ तक परिकलित किया गया था। पत्तन ने पेंशन तथा उपदान निधि के प्रति

₹2431.81 करोड़ की राशि प्रदान की थी। इसका परिणाम ₹2214.79 करोड़ तक प्रत्येक वर्तमान देयताओं तथा प्रावधान के कम बताए जाने तथा लाभ के अधिक बताए जाने में हुआ।

31. खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग

अक्षय निधि- ₹178.86 करोड़

अक्षय निधि तथा नकद एवं बैंक शेष को केवीआईसी के फील्ड कार्यालयों के पास अव्ययित शेष होने से ₹584.67 करोड़ की सीमा तक कम बताया गया था। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए योजना-वार उपयोग प्रमाणपत्र केवीआईसी फील्ड कार्यालयों के पास उपलब्ध इन अव्ययित शेषों के केवीआईसी के पास उपलब्ध अव्ययित शेष के भाग के रूप में नहीं दर्शाते हैं।

32. तेल उद्योग विकास बोर्ड

अनुदानों, आर्थिक सहायताओं आदि पर व्यय: ₹275.23 करोड़

इसे वर्ष 2015-16 हेतु राष्ट्रीय गैस हाईड्रेट कार्यक्रम (एनजीएचपी) आरएण्डडी अभियान-02 के प्रति ओआईडीबी द्वारा प्रतिपूर्ति करने योग्य व्ययों के भाग के प्रति ओएनजीसी द्वारा प्रस्तुत नकद मांगों का गैर-लेखांकन होने से ₹320.35 करोड़ तक कम बताया गया है। इसका परिणाम ₹320.35 करोड़ तक अनुदानों, आर्थिक सहायताओं आदि पर व्यय के कम बताए जाने तथा व्यय से अधिक आय होने से शेष को अधिक बताए जाने में हुआ है।

33. दिल्ली विकास प्राधिकरण

(i) चिन्हित निधियों के निवेश में कमी

वर्ष 2014-15 हेतु डीडीए की वित्तीय विवरणियों पर चिन्हित निधियों के प्रति कमी को दर्शाने वाले सीएजी के टिप्पण सं. ए 2.4 का संदर्भ लें। वर्ष 2015-16 में भी, 31 मार्च 2015 को सामान्य भविष्य निधि, शहरी विकास निधि, अवकाश नकदीकरण निधि, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना निधि, सिविल कार्य अनुरक्षण निधि तथा विद्युत कार्य अनुरक्षण निधि में उपलब्ध ₹7,405.28 करोड़ की कुल निधियों के प्रति किया गया वास्तविक निवेश केवल ₹7,030.08 करोड़ था। इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2015-16 के दौरान उपर्युक्त संदर्भित निधियों के प्रति निवेश में कुल ₹375.20 करोड़ की कमी थी।

(ii) ठेकेदारों को अग्रिम: ₹512.99 करोड़

इसमें ठेकेदार को संग्रहण अग्रिमों के रूप में दिए गए परंतु व्यय के रूप में दर्ज ₹163.80 करोड़ की राशि शामिल नहीं है। इसमें ठेकेदारों को संग्रहण अग्रिम के रूप में प्रदान की गई ₹53.22 करोड़ की राशि भी शामिल है जिसे दो बार दर्ज किया गया था। परिणामस्वरूप, अग्रिम को ₹110.58 करोड़ (₹163.80 करोड़- ₹53.22 करोड़) की सीमा तक कम बताया गया था तथा वर्तमान वर्ष तथा पिछले वर्ष हेतु व्यय को क्रमशः ₹70.89 करोड़ (₹110.58 करोड़-₹39.69 करोड़) तथा ₹39.69 करोड़ की सीमा तक अधिक बताया गया था।

34. जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान (जेआईपीएमइआर), पुदुचेरी

किए गए व्यय हेतु कार्पस निधि से अंतरण- ₹42.65 करोड़

लेखाओं के समरूप प्रारूप में दिए गए व्यापक रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों तथा दिर्शानिर्देशों के अनुसार आय से अधिक व्यय को, आय एवं लेखे में घाटे के रूप में दर्शाया जाना चाहिए तथा इसे कार्पस/पूँजीगत निधि को अंतरित किया जाना होता है। तथापि, इसके विपरीत संस्थान ने आय से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए कार्पस निधि से आय के रूप में आय एवं व्यय लेखे को ₹42.65 करोड़ की राशि का अंतरण किया है।

35. तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय

सामान्य

संस्थान के पास 01.04.2015 तथा 31.03.2016 को क्रमशः कुल ₹73.75 करोड़ तथा ₹61.34 करोड़ के बैंक जमा है परंतु इन्हें आरएण्डपी लेखे में उजागर नहीं किया गया है जैसा समरूप प्रारूप द्वारा अपेक्षित है।

36. भारतीय विज्ञान, शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम

चालू देयताएं: ₹51.61 करोड़

संस्थान वर्ष के दौरान प्राप्त पूर्ण अनुदान का कार्पस में लेखांकन कर रहा है। इस प्रकार कुल ₹152.72 करोड़ की अप्रयुक्त सहायता अनुदान को गलत लेखांकन प्रक्रिया को अपनाने के कारण चालू देयताओं में दर्शाए जाने के बजाए इसे कार्पस निधि के भाग के रूप में दर्शाया गया था। इसका परिणाम उस सीमा तक कार्पस निधि के अधिक बताए जाने तथा चालू देयताओं के कम बताए जाने में हुआ।

37. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट

सामान्य

चालू देयताओं एवं प्रावधानों में 14 उचन्त लेखाओं में ₹16.02 करोड़ का शेष शामिल है। ये लेखे समाशोधन हेतु वर्षों से लंबित है। चालू देयताओं एवं प्रावधानों में 14 उचन्त लेखाओं में शेष के गैर-सामाधान के कारण हम संस्थान की लेखा पुस्तिकाओं में चालू देयताओं एवं प्रावधानों में दर्शाए गए शेष की यथार्थता की जांच करने में असमर्थ है।

38. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली

i) एम्स की विभिन्न इकाईयों की बैंक समाधान विवरणियों में गैर-समाधान किए गए शेष थे जिनका समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

ii) स्थायी परिसम्पत्तियों अर्थात् सयंत्र, मशीनरी तथा उपकरण (₹ 958.87 करोड़), वाहन (₹ 3.89 करोड़), बिल्डिंग (₹ 667.97 करोड़) तथा पुस्तकालय की पुस्तकें (₹ 73.79 करोड़) पर कोई मूल्यहास प्रभारित नहीं किया गया है जैसा कि आईसीएआई के लेखापरीक्षण मानक (एएस-6) के अन्तर्गत अपेक्षित है।

39. केन्द्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद

सामान्य

प्लान (विकेन्द्रित इकाईयों) के प्राप्ति एवं भुगतान लेखे में वर्ष 2015-16 का नकद तथा बैंक में नकद का अथ शेष वर्ष 2014-15 के अंत शेष के साथ ₹ 6.57 करोड़ तक मेल नहीं खाता है।

40. संगीत नाटक अकादमी (एसएनए)

सामान्य

(i) वार्षिक लेखाओं के अनुसार, एसएनए द्वारा अनुरक्षित 12 खातों से संबंधित ₹11.68 करोड़ का शेष था। तथापि, बैंक प्रमाण-पत्रों के अनुसार शेष ₹ 14.25 करोड़ था। सभी बैंक खातों की बैंक समाधान विवरणियां लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

(ii) एसएनए ने 2015-16 के दौरान 10 अस्थायी बैंक खाते खोले थे। इन बैंक खातों को 31.03.2016 तक बंद नहीं किया गया था। इन बैंक खातों से संबंधित उपलब्ध शेष को मुख्य लेखाओं के बीआरएस में दर्शाया जाना बताया गया था। तथापि, एसएनए सभी अस्थायी बैंक खातों

की बैंक विवरणियां/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकी थी। केवल चार अस्थायी बैंक खातों को समेकित बीआरएस में पाया गया था परंतु आंकड़ों का बैंक विवरणियों से उपलब्ध शेषों से मिलान नहीं किया जा सका था।

41. राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रोत्साहन परिषद

चालू देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची 2) - ₹1.68 लाख

उपरोक्त में ₹1.41 करोड़ की अव्ययित सहायता अनुदान शामिल नहीं है जिसका परिणाम ₹1.41 करोड़ तक चालू देयताएं एवं प्रावधानों को कम बताए जाने तथा कार्पस/पूंजीगत निधि को अधिक बताए जाने में हुआ।

42. केन्द्रीय विद्यालय संगठन

चालू परिसम्पत्तियां: ₹710.22 करोड़

₹38.35 करोड़ की एफडीआर पर ₹4.70 करोड़ की उपार्जित ब्याज को आय एवं व्यय लेखे में आय के रूप में नहीं लिया गया है जिसका परिणाम ₹4.70 करोड़ तक आय तथा चालू परिसम्पत्तियों के कम बताए जाने में हुआ।

43. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

स्थायी परिसम्पत्तियां: ₹14.89 करोड़

उपरोक्त में वर्ष के दौरान पूर्ण की गई क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल की ईमारत का मूल्य शामिल नहीं है। जनवरी 2014 से सितम्बर 2015 के दौरान सीपीडब्ल्यूडी को जारी ₹4.32 करोड़ की राशि को ऋण, अग्रिम एवं जमाओं के अंतर्गत दर्शाया गया है जिसका परिणाम ₹4.32 करोड़ तक स्थायी परिसम्पत्तियों तथा उस पर मूल्यहास के कम बताए जाने तथा ऋण, अग्रिम एवं जमाओं के अधिक बताए जाने में हुआ।

44. केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन

चालू देयताएं तथा प्रावधान: ₹102.57 करोड़

उपरोक्त में ₹3.86 करोड़ के अनुदानों का अव्ययित शेष शामिल नहीं है। इसका परिणाम ₹3.86 करोड़ तक चालू देयताओं के कम बताए जाने तथा पूंजीगत निधि के अधिक बताए जाने में हुआ।

45. कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(i) चालू देयताएं तथा प्रावधान (अनुसूची 7) - ₹2056.80 करोड़

उपरोक्त को बकाया व्यय हेतु परंतु मार्च 2016 तक अदा नहीं की गई देयता के गैर-प्रावधान के कारण ₹21.17 करोड़ तक कम बताया गया है। इसका परिणाम ₹21.17 करोड़ तक सामान्य रिजर्व (आधिक्य) के अधिक बताए जाने में भी हुआ है।

(ii) चालू परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची 11) - ₹6679.77 करोड़

उपरोक्त में 31.03.2016 को विभिन्न औषधालयों में शेष औषधि भण्डार का मूल्य ₹6.45 करोड़ शामिल नहीं हैं। इसका परिणाम इसी राशि तक चालू परिसम्पत्तियों तथा सामान्य रिजर्व (आधिक्य) के कम बताए जाने में हुआ है।

46. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

चालू देयताएं तथा प्रावधान (अनुसूची 6) - ₹14.50 करोड़

उपरोक्त में ₹26.56 करोड़ की अव्ययित सहायता अनुदान शामिल नहीं है जिसका परिणाम इसी राशि तक चालू देयताओं तथा प्रावधानों के कम बताए जाने तथा प्रतिबंधित-पूँजीगत निधि के अधिक बताए जाने में हुआ।

47. भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, (आईसीएसएसआर) नई दिल्ली

चालू परिसम्पत्तियां, ऋण तथा अग्रिम आदि: ₹16.05 करोड़

आईसीएसएसआर ने 25 अनुसंधान संस्थानों को कुल ₹37.14 करोड़ की राशि के अनुरक्षण अनुदान जारी किए जिसे लेखाओं में सहायता अनुदान पर व्यय के रूप में दर्ज किया गया था। 10 अनुसंधान संस्थानों के पास ₹1.77 करोड़ की अव्ययित सहायता अनुदान को लेखाओं में परिसम्पत्तियों के रूप में नहीं दर्शाया गया था। इसका परिणाम ₹1.77 करोड़ तक चालू परिसम्पत्तियों के कम बताए जाने तथा व्यय के अधिक बताए जाने में हुआ।

48. श्री लाल बहादुर बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ

चालू देयताएं तथा प्रावधान: ₹9.54 करोड़

कुल ₹3.63 करोड़ की नई पेंशन योजना की देयताओं तथा परिसम्पत्तियों को न तो लेखाओं में दर्शाया गया है और न ही एनपीएस का अलग लेखा तैयार किया गया है। इसे 2010-11 से इंगित किया जा रहा है परंतु कोई शोधक कार्रवाई नहीं की गई है।

49. राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोत्साहन परिषद

सामान्य

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने परियोजना “इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर में कौशल विकास” के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2013-14 तथा 2015-16 के दौरान एनसीपीयूएल को क्रमशः कुल ₹7.51 करोड़ तथा ₹5.81 करोड़ की अनुदाने जारी की थी। परिषद, परियोजना के केवल प्राप्ति एवं भुगतान लेखे का अनुरक्षण कर रही है।

वर्तमान वर्ष के दौरान ₹2.10 करोड़ की राशि को प्राप्ति एवं भुगतान लेखे में पूंजीगत व्यय (प्रयोगशाला ढांचा) के रूप में दर्शाया गया है। ₹2.10 करोड़ की उपर्युक्त राशि को न तो लेखाओं में स्थायी परिसम्पत्तियों के रूप में दर्शाया गया था और न ही लेखे पर टिप्पणियों में कोई प्रकटन किया गया था। इसके अतिरिक्त, 31.03.2016 को ₹2.12 करोड़ की अप्रयुक्त सहायता अनुदान को लेखाओं में देयता के रूप में नहीं दर्शाया गया है।

50. भारतीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, मोहाली

प्रगति पर पूंजीगत कार्य: ₹152.03 करोड़

उपरोक्त में कुल ₹75.73 करोड़ की ईमारत शामिल है जिसे पूर्ण किया गया था तथा जनवरी 2014 तथा मार्च 2015 के बीच उपयोग में लाया गया था। इसे लेखाओं में पूंजीगत किया जाना चाहिए था। पूर्ण की गई ईमारतों के गैर-पूंजीकरण का परिणाम ₹75.73 करोड़, तक प्रगति पर पूंजीगत कार्य को अधिक बताए जाने तथा ₹60.90 करोड़ (₹75.73 करोड़ घटा ₹14.83 करोड़ मूल्यहास के) तक बिल्डिंग के कम बताए जाने तथा ₹14.83 करोड़ तक मूल्यहास को कम तथा कार्पस निधि के अधिक बताए जाने में हुआ।

51. संत लॉगोवाल अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान, लॉगोवाल (पंजाब)

भवन: ₹45.58 करोड़

उपरोक्त में ₹1.49 करोड़ के निदेशक के आवास तथा महिला छात्रावास की सीमा दीवार के निर्माण/ऊँचा उठाना शामिल नहीं है जिसे 20 जून 2015 को पूरा कर लिया गया था। इसका परिणाम ₹1.49 करोड़, तक ऋण, अग्रिम तथा जमाओं के अधिक बताए जाने, ₹0.03 करोड़ तक मूल्यहास के कम बताए जाने तथा ₹1.46 करोड़ तक स्थायी परिसम्पत्तियों के कम बताए जाने में हुआ।

52. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मण्डी

प्रगति पर पूंजीगत कार्य: ₹145.19 करोड़

उपरोक्त में ₹22.13 करोड़ के मूल्य की छः बिल्डिंग शामिल है जिन्हें पूर्ण कर लिया गया था तथा जनवरी से मार्च 2016 के माह के दौरान कार्यकारी अभिकरण द्वारा संस्थान को सुपुर्द किया गया था। पूर्ण बिल्डिंगों के गैर-पूंजीकरण का परिणाम ₹22.13 करोड़ तक प्रगति पर पूंजीगत कार्य के अधिक बताए जाने, ₹21.58 करोड़ (₹22.13 करोड़ घटा ₹0.55 करोड़ के मूल्यहास) तक बिल्डिंग के कम बताए जाने तथा ₹0.55 करोड़ तक घाटे के कम बताए जाने के साथ-साथ पूंजीगत निधि के अधिक बताए जाने में हुआ।

53. जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू

चालू देयताएं तथा प्रावधान: ₹5.55 करोड़

उपरोक्त में 31 मार्च 2016 को ₹86.82 करोड़ के सहायता अनुदान का अप्रयुक्त शेष शामिल नहीं है। इसका परिणाम ₹86.82 करोड़ तक चालू देयताओं के कम बताए जाने के साथ-साथ कार्पस/पूंजीगत निधि के अधिक बताए जाने में हुआ।

54. भारतीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), पुणे

कार्पस/पूंजीगत निधि: ₹506.19 करोड़

₹40.82 करोड़ का घाटा जो वर्ष हेतु आय व्यय लेखे से आय से अधिक व्यय को दर्शाता है, का कार्पस में अंतरण नहीं किया गया था जैसा केन्द्रीय उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों हेतु लेखे के नए प्रारूप में निर्धारित है, परंतु चालू देयताओं को अंतरण किया गया था। इसका परिणाम ₹4081.91

लाख तक कार्पस के अधिक बताए जाने तथा इसी सीमा तक चालू देयताओं के कम बताए जाने में हुआ है।

55. राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान, मुंबई

स्थायी परिसम्पत्तियां: ₹17.63 करोड़

संस्थान ने वर्ष के दौरान कुल ₹1.62 करोड़ की स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद का प्रावधान किया है जिसे परिसम्पत्तियों का प्रापण किए बिना तुलन पत्र में स्थायी परिसम्पत्तियों के सकल ब्लाक में जोड़ा गया था। इसके कारण ₹1.62 करोड़ तक संस्थान की आय कम बताने के साथ स्थायी परिसम्पत्तियों के साथ-साथ विविध लेनदारों को भी अधिक बताया गया।

56. भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान बाम्बे (आईआईटी), मुंबई

प्रगति पर पूंजीगत निर्माण कार्य: ₹770.65 करोड़

उपरोक्त राशि 57 विभिन्न मुख्य निर्माण-कार्यों के साथ-साथ लघु निर्माण कार्यों, जो संस्थान के परिसर के भीतर है पर किए गए व्यय को दर्शाती है। 57 निर्माण कार्यों में से ₹449.89 करोड़ की लागत के 30 निर्माण कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं तथा परिसम्पत्तियों को उपयोग में लाया गया है। इसे 31/03/2016 तक पूंजीकृत नहीं किया गया है जिसका परिणाम मूल्यहास के कारण ₹8.90 करोड़ के व्यय के कम बताए जाने तथा उसी सीमा तक कार्पस के अधिक बताए जाने में हुआ।

57. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय, अमरकंटक

निवेश से आय- ₹2.49 करोड़

इसमें सावधि जमाओं पर अर्जित ब्याज के ₹87.19 लाख शामिल नहीं है। इसे समायोजन प्रविष्टि के माध्यम से चिकित्सा भत्तों पर व्यय को क्रेडिट किया गया है। इसका परिणाम ₹87.19 लाख तक आय के साथ-साथ व्यय के कम बताए जाने में हुआ।

परिशिष्ट - VI

(पैराग्राफ 1.6 (क) में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जहां वर्ष 2015-16 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गयी थी।

| क्र.सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|---------|---|
| 1. | मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल |
| 2. | गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर |
| 3. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर |
| 4. | रामपुर राजा पुस्तकालय, रामपुर |
| 5. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू), वाराणसी |
| 6. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैंड |
| 7. | नागालैंड विश्वविद्यालय |
| 8. | उत्तर-पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर, नागालैंड |
| 9. | केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार |
| 10. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी |
| 11. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर |
| 12. | भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी |
| 13. | राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति |
| 14. | हैदराबाद विश्वविद्यालय |
| 15. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल |
| 16. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद |
| 17. | राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद |
| 18. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर |
| 19. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर |

| | |
|-----|--|
| 20. | दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पटना |
| 21. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना |
| 22. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना |
| 23. | कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा |
| 24. | राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान, बैंगलोर |
| 25. | राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं न्यूरोविज्ञान संस्थान, बैंगलोर |
| 26. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतल्ला |
| 27. | इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलौंग |
| 28. | राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलौंग |
| 29. | उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ईटानगर |
| 30. | राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर |
| 31. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अरुणाचल प्रदेश |
| 32. | केन्द्रीय हिमालयी संस्कृति अध्ययन संस्थान, अरुणाचल प्रदेश |
| 33. | जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी |
| 34. | केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई |
| 35. | राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई |
| 36. | अरुविले फाउंडेशन, अरुविले |
| 37. | तटीय जलीय संस्कृति प्राधिकरण, चेन्नई |
| 38. | राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरुम्बुदुर |
| 39. | नारियल विकास बोर्ड, कोच्ची |
| 40. | केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड़ |
| 41. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट |
| 42. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोट्टयम |
| 43. | लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड, कवरत्ती |
| 44. | गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर |
| 45. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर |

| | |
|-----|---|
| 46. | राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर |
| 47. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर |
| 48. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी |
| 49. | हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला |
| 50. | हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, नरनौल |
| 51. | जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू |
| 52. | राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुड़गांव (नोवोड) |
| 53. | केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, चोगलामसर, लेह-लद्दाख |
| 54. | राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़ |
| 55. | मणिपुर विश्वविद्यालय |
| 56. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम |
| 57. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे |
| 58. | मसाला बोर्ड, कोच्ची |
| 59. | समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची |
| 60. | पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली |
| 61. | ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली |
| 62. | कोलकाता पत्तन न्यास |
| 63. | कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड |
| 64. | वीओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास, थुथुकुडी, तमिलनाडु |
| 65. | भारतीय दंत-चिकित्सा परिषद |
| 66. | भारतीय नर्सिंग परिषद |
| 67. | भारतीय फार्मसी परिषद |
| 68. | राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान |
| 69. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान |
| 70. | केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद |
| 71. | केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद |

| | |
|-----|---|
| 72. | केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद |
| 73. | केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद |
| 74. | मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान |
| 75. | राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड |
| 76. | भारतीय चिकित्सा परिषद |
| 77. | भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण |
| 78. | भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद |
| 79. | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र |
| 80. | राष्ट्रीय महिला आयोग |
| 81. | राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग |
| 82. | राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग |
| 83. | भारतीय भू पत्तन प्राधिकरण |
| 84. | राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग |
| 85. | केन्द्रीय वक्फ परिषद |
| 86. | भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद |
| 87. | भारतीय प्रवासी केन्द्र |
| 88. | भारतीय विदेशी भारतीय विकास फाउंडेशन |
| 89. | राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रोन्नयन परिषद, नई दिल्ली |
| 90. | राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग, नई दिल्ली |
| 91. | राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली |
| 92. | भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 93. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली |
| 94. | भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली |
| 95. | भारतीय बाल भवन, नई दिल्ली |
| 96. | भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |

| | |
|------|---|
| 97. | भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद |
| 98. | राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम |
| 99. | राष्ट्रीय ऊर्दू भाषा प्रोन्नयन परिषद |
| 100. | श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली |
| 101. | योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली |
| 102. | पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण |
| 103. | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग |
| 104. | राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण |

परिशिष्ट - VII

(पैराग्राफ 1.6 (ख) में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जहां वर्ष 2015-16 के दौरान अचल परिसंपत्ति का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

| क्र.सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|---------|---|
| 1. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर |
| 2. | गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर |
| 3. | एबीवी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर |
| 4. | बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी |
| 5. | प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, कानपुर |
| 6. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश |
| 7. | रामपुर राजा पुस्तकालय, रामपुर |
| 8. | इलाहाबाद संग्रहालय सोसायटी, ईलाहाबाद |
| 9. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू), वाराणसी |
| 10. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैंड |
| 11. | नालन्दा विश्वविद्यालय |
| 12. | उत्तर-पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर, नागालैंड |
| 13. | असम विश्वविद्यालय, सिलचर |
| 14. | केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार |
| 15. | भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता |
| 16. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी |
| 17. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर |
| 18. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर |

| | |
|-----|--|
| 19. | विश्व भारती, शांतिनिकेतन |
| 20. | चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता |
| 21. | राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कोलकाता |
| 22. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल |
| 23. | राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति |
| 24. | हैदराबाद विश्वविद्यालय |
| 25. | अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद |
| 26. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर |
| 27. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर |
| 28. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना |
| 29. | कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा |
| 30. | राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान, बैंगलोर |
| 31. | त्रिपुरा विश्वविद्यालय |
| 32. | इंदिरा गांधी उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलोंग |
| 33. | राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर |
| 34. | केन्द्रीय हिमालयी संस्कृति अध्ययन संस्थान, अरुणाचल प्रदेश |
| 35. | केन्द्रीय सिद्धा अनुसंधान परिषद, चेन्नई |
| 36. | अरुविले फाउंडेशन, अरुविले |
| 37. | तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, थिरुवरूर |
| 38. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाईन एवं निर्माण संस्थान, कांचीपुरम |
| 39. | तटीय जलीय संस्कृति प्राधिकरण, चेन्नई |
| 40. | भारतीय विज्ञान, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम |
| 41. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझिकोड |
| 42. | केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड़ |
| 43. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोट्टयम |
| 44. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर* |

| | |
|-----|--|
| 45. | मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर |
| 46. | राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर |
| 47. | केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, चोगलामसर, लेह-लद्दाख |
| 48. | मणिपुर विश्वविद्यालय |
| 49. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम |
| 50. | अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुम्बई |
| 51. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे |
| 52. | भारतीय चाय बोर्ड, कोलकाता |
| 53. | मसाला बोर्ड, कोच्ची |
| 54. | नाविक भविष्य निधि संगठन* |
| 55. | तेल उद्योग विकास बोर्ड |
| 56. | मुम्बई पत्तन न्यास |
| 57. | कोलकाता पत्तन न्यास |
| 58. | पारादीप पत्तन न्यास |
| 59. | न्यू मेंगलोर पत्तन न्यास |
| 60. | दिल्ली विकास प्राधिकरण |
| 61. | वीओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास, थुथुकुड़ी, तमिलनाडु |
| 62. | भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई |
| 63. | राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (भुवनेश्वर एवं चेन्नई केन्द्र) |
| 64. | केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद |
| 65. | केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद |
| 66. | प्रसार भारती |
| 67. | भारतीय प्रेस परिषद |
| 68. | भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद |

* आंशिक तौर पर आयोजित

| | |
|-----|---|
| 69. | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र |
| 70. | दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी |
| 71. | ललित कला अकादमी |
| 72. | संगीत नाटक अकादमी |
| 73. | राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय |
| 74. | राष्ट्रीय महिला आयोग |
| 75. | राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग |
| 76. | राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग |
| 77. | राष्ट्रीय कला इतिहास, संरक्षण तथा संग्रहालय विज्ञान संग्रहालय संस्थान |
| 78. | राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग |
| 79. | दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय |
| 80. | भारतीय प्रवासी केन्द्र |
| 81. | भारतीय विदेशी भारतीय विकास फाउंडेशन |
| 82. | राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली |
| 83. | कर्मचारी राज्य बीमा निगम |
| 84. | योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली |
| 85. | श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली |
| 86. | भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 87. | राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद |
| 88. | भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 89. | राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम |
| 90. | दिल्ली विश्वविद्यालय |
| 91. | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग |

परिशिष्ट - VIII

(पैराग्राफ 1.6 (ग) में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जहां वर्ष 2015-16 के दौरान वस्तु-सूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

| क्र.सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|---------|---|
| 1. | भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल |
| 2. | गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर |
| 3. | एबीवी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर |
| 4. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर |
| 5. | केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी |
| 6. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश |
| 7. | रामपुर राजा पुस्तकालय, रामपुर |
| 8. | इलाहाबाद संग्रहालय सोसायटी, ईलाहाबाद |
| 9. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू), वाराणसी |
| 10. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैंड |
| 11. | नालन्दा विश्वविद्यालय |
| 12. | उत्तर-पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर, नागालैंड |
| 13. | विश्व भारती, शांतिनिकेतन |
| 14. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर |
| 15. | भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता |
| 16. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी |
| 17. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल |
| 18. | हैदराबाद विश्वविद्यालय |

| | |
|-----|---|
| 19. | मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद |
| 20. | अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद |
| 21. | राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ |
| 22. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर |
| 23. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर |
| 24. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना |
| 25. | कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा |
| 26. | राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान, बेंगलोर |
| 27. | पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलौंग |
| 28. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय |
| 29. | राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर |
| 30. | केन्द्रीय हिमालयी संस्कृति अध्ययन संस्थान, अरुणाचल प्रदेश |
| 31. | केन्द्रीय सिद्धा अनुसंधान परिषद, चेन्नई |
| 32. | अरुविले फाउंडेशन, अरुविले |
| 33. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाईन एवं निर्माण संस्थान, कांचीपुरम |
| 34. | राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरुम्बुदुर |
| 35. | भारतीय विज्ञान, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम |
| 36. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट |
| 37. | राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर* |
| 38. | मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर |
| 39. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी |
| 40. | हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, नरनौल |
| 41. | केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, चोगलामसर, लेह-लद्दाख |
| 42. | मणिपुर विश्वविद्यालय |

* आंशिक तौर पर आयोजित

| | |
|-----|---|
| 43. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम |
| 44. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम |
| 45. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे |
| 46. | अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुम्बई |
| 47. | भारतीय चाय बोर्ड, कोलकाता |
| 48. | मसाला बोर्ड, कोच्ची |
| 49. | खादी एवं ग्राम उद्योग, मुम्बई |
| 50. | दिल्ली विकास प्राधिकरण |
| 51. | मुम्बई पत्तन न्यास |
| 52. | कोलकाता पत्तन न्यास |
| 53. | पारादीप पत्तन न्यास |
| 54. | वीओ चिदम्बरनर पत्तन न्यास, थुथुकुड़ी, तमिलनाडु |
| 55. | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली |
| 56. | केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद |
| 57. | केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद |
| 58. | प्रसार भारती |
| 59. | भारतीय प्रेस परिषद |
| 60. | भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद |
| 61. | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र |
| 62. | ललित कला अकादमी |
| 63. | संगीत नाटक अकादमी |
| 64. | राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय |
| 65. | राष्ट्रीय महिला आयोग |
| 66. | राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग |
| 67. | राष्ट्रीय कला इतिहास, संरक्षण तथा संग्रहालय विज्ञान संग्रहालय संस्थान |
| 68. | राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग |

| | |
|-----|--|
| 69. | राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान |
| 70. | राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम |
| 71. | योजना तथा वास्तुकला विद्यालय |
| 72. | भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद |
| 73. | भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |

परिशिष्ट - IX

(पैराग्राफ 1.6 (घ) में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जहां अनुदानों का लेखांकन प्राप्ति/नगद आधार पर किया गया है।

| क्र.सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|---------|---|
| 1. | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक |
| 2. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल |
| 3. | डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर |
| 4. | बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी |
| 5. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पौड़ी |
| 6. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर |
| 7. | केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी |
| 8. | शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, कानपुर |
| 9. | नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा |
| 10. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश |
| 11. | इलाहाबाद संग्रहालय सोसायटी, ईलाहाबाद |
| 12. | राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा |
| 13. | राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून |
| 14. | केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार |
| 15. | दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पटना |
| 16. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना |
| 17. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना |
| 18. | खुदाबखश ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना |
| 19. | नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर |

| | |
|-----|---|
| 20. | नव नालंदा महाविहार, नालंदा |
| 21. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना |
| 22. | पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलौंग |
| 23. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट |
| 24. | केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड़ |
| 25. | संत लोंगोवाल अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल |
| 26. | केन्द्रीय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, धर्मशाला |
| 27. | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव |
| 28. | राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुड़गांव |
| 29. | उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला |
| 30. | केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, चोगलामसर, लेह-लद्दाख |
| 31. | राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़ |
| 32. | प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, मुम्बई |
| 33. | खादी एवं ग्रामोद्योग, मुम्बई |
| 34. | ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली |
| 35. | महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, मुम्बई |
| 36. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान |
| 37. | राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड |
| 38. | केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसायटी |
| 39. | दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी |
| 40. | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय |
| 41. | राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण |

परिशिष्ट - X

(पैराग्राफ 1.6 (ड) में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जहां ग्रेच्यूटी एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखांकन नहीं किया गया है

| क्र.सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|---------|---|
| 1. | मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल |
| 2. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल |
| 3. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर |
| 4. | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक |
| 5. | डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर |
| 6. | बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी |
| 7. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पौड़ी |
| 8. | केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी |
| 9. | प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, कानपुर |
| 10. | नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा |
| 11. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश |
| 12. | रामपुर राजा पुस्तकालय, रामपुर |
| 13. | इलाहाबाद संग्रहालय सोसायटी, इलाहाबाद |
| 14. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू), वाराणसी |
| 15. | अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ |
| 16. | राष्ट्रीय दृश्य विकलांग संस्थान, देहरादून |
| 17. | उत्तर-पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर |
| 18. | असम विश्वविद्यालय, सिलचर |
| 19. | केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार |

| | |
|-----|--|
| 20. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर |
| 21. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर |
| 22. | विश्व भारती, शांतिनिकेतन |
| 23. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी |
| 24. | भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता |
| 25. | तेजपुर विश्वविद्यालय, असम |
| 26. | राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता |
| 27. | राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता |
| 28. | चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता |
| 29. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद |
| 30. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल |
| 31. | राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति |
| 32. | राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद |
| 33. | राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद |
| 34. | सलार जंग संग्रहालय, हैदराबाद |
| 35. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर |
| 36. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राऊरकेला |
| 37. | केन्द्रीय ओडिशा विश्वविद्यालय, कोरापुट |
| 38. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर |
| 39. | खुदाबखश ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना |
| 40. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सुरथकल, मैंगलोर |
| 41. | भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर |
| 42. | त्रिपुरा विश्वविद्यालय |
| 43. | इंदिरा गांधी उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलोंग |
| 44. | राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलोंग |
| 45. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय |

| | |
|-----|---|
| 46. | उत्तर पूर्वी आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलौंग |
| 47. | उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, अरुणाचल प्रदेश |
| 48. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अरुणाचल प्रदेश |
| 49. | जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी |
| 50. | राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई |
| 51. | केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई |
| 52. | अरुविले फाउंडेशन, अरुविले |
| 53. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं निर्माण संस्थान, कांचीपुरम |
| 54. | तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, थिरुवरूर |
| 55. | प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई |
| 56. | राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरुम्बुदुर |
| 57. | तटीय जलीय संस्कृति प्राधिकरण, चेन्नई |
| 58. | दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, थंजावुर |
| 59. | राष्ट्रीय बहुविकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, चेन्नई |
| 60. | भारतीय विज्ञान, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम |
| 61. | नारियल विकास बोर्ड, कोच्ची |
| 62. | राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर |
| 63. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर |
| 64. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर |
| 65. | केन्द्रीय राजस्थान बंदर सिंदरी विश्वविद्यालय, किशनगढ़ |
| 66. | मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर |
| 67. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, उदयपुर |
| 68. | केन्द्रीय पंजाब विश्वविद्यालय, भटिंडा |
| 69. | संत लॉंगोवाल अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लॉंगोवाल |
| 70. | भारतीय एडवांस्ड स्टडी संस्थान, शिमला |
| 71. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर |

| | |
|-----|--|
| 72. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी |
| 73. | हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला |
| 74. | हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, नरनौल |
| 75. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक |
| 76. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र |
| 77. | जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू |
| 78. | राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ |
| 79. | स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ |
| 80. | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव |
| 81. | राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुड़गांव |
| 82. | केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, चोगलामसर, लेह-लद्दाख |
| 83. | राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़ |
| 84. | मणिपुर विश्वविद्यालय |
| 85. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम |
| 86. | भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे |
| 87. | राष्ट्रीय उद्योग अभियंत्रिकी संस्थान, मुम्बई |
| 88. | विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर |
| 89. | प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, मुम्बई |
| 90. | राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे |
| 91. | अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुम्बई |
| 92. | भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुपति |
| 93. | भारतीय हज समिति, मुम्बई |
| 94. | भारतीय चाय बोर्ड, कोलकाता |
| 95. | रबर बोर्ड, कोट्टयम, केरल |
| 96. | मसाला बोर्ड, कोच्ची |
| 97. | समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची |

| | |
|------|---|
| 98. | काँफी बोर्ड, बेंगलोर |
| 99. | खादी एवं ग्राम उद्योग, मुम्बई |
| 100. | कांडला पत्तन न्यास |
| 101. | नाविक भविष्य निधि संगठन, मुम्बई |
| 102. | कोलकाता पत्तन न्यास |
| 103. | पारादीप पत्तन न्यास |
| 104. | वस्त्र समिति, मुम्बई |
| 105. | भारतीय दंत-चिकित्सा परिषद |
| 106. | भारतीय नर्सिंग परिषद |
| 107. | भारतीय फार्मसी परिषद |
| 108. | राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान |
| 109. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान |
| 110. | केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद |
| 111. | केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद |
| 112. | केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद |
| 113. | केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद |
| 114. | केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद |
| 115. | मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान |
| 116. | भारतीय चिकित्सा परिषद |
| 117. | भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण |
| 118. | भारतीय प्रेस परिषद |
| 119. | भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद |
| 120. | सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र |
| 121. | ललित कला अकादमी |
| 122. | संगीत नाटक अकादमी |
| 123. | राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय |

| | |
|------|---|
| 124. | दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी |
| 125. | गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति |
| 126. | साहित्य अकादमी |
| 127. | राष्ट्रीय महिला आयोग |
| 128. | राष्ट्रीय कला इतिहास, संरक्षण तथा संग्रहालय विज्ञान संग्रहालय संस्थान |
| 129. | भारतीय भू पत्तन प्राधिकरण |
| 130. | राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग |
| 131. | राष्ट्रीय न्यास |
| 132. | पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांग संस्थान |
| 133. | भारतीय पुनर्वास परिषद |
| 134. | केन्द्रीय वक्फ परिषद |
| 135. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली |
| 136. | अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद |
| 137. | केन्द्रीय विद्यालय संगठन |
| 138. | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग |
| 139. | योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली |

परिशिष्ट - XI

(पैराग्राफ 1.6(च) में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जिसका अचल संपत्ति पर हास उपलब्ध नहीं कराया गया था।

| क्र.सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|---------|---|
| 1. | विश्व भारती, शांतिनिकेतन |
| 2. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल |
| 3. | राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर |
| 4. | स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ |
| 5. | खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई |
| 6. | भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद |

अनुबंध - XII

(पैराग्राफ 1.6(छ) में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जिन्होंने लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप उनके लेखाओं को संशोधित किया

| क्र.सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|---------|---|
| 1. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद |
| 2. | स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, ओलटपुर, कटक |
| 3. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर |
| 4. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलोर |
| 5. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सुरथकल, मैंगलोर |
| 6. | कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा |
| 7. | भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलोर |
| 8. | राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान, बेंगलोर |
| 9. | राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं न्यूरोविज्ञान संस्थान, बेंगलोर |
| 10. | केन्द्रीय सिद्धा अनुसंधान परिषद, चेन्नई |
| 11. | राष्ट्रीय सिद्धा संस्थान, चेन्नई |
| 12. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं निर्माण संस्थान, कांचीपुरम |
| 13. | पॉण्डिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी |
| 14. | शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई |
| 15. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास |
| 16. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, तिरुचिरापल्ली |
| 17. | तटीय जलीय संस्कृति प्राधिकरण |
| 18. | जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी |
| 19. | कलाश्रेष्ठ फाउंडेशन, चेन्नई |

| | |
|-----|---|
| 20. | राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई |
| 21. | राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरुम्बुदुर |
| 22. | हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला |
| 23. | राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़ |
| 24. | सिक्किम विश्वविद्यालय |
| 25. | कॉफी बोर्ड, सामान्य निधि, बैंगलोर |
| 26. | बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, हैदराबाद |
| 27. | कोलकाता पत्तन न्यास |
| 28. | विशाखापत्तनम पत्तन न्यास |

परिशिष्ट - XIII

(पैराग्राफ सं. 1.7 में संदर्भित)

दिसम्बर 2016 को मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्रतीक्षित की गई कार्रवाई की संक्षिप्त स्थिति

| क्र.सं. | मंत्रालय/विभाग का नाम | समाप्त मार्च वर्ष के लिए प्रतिवेदन | सिविल | | | स्वायत्त निकाय | | | कुल | | |
|---------|---|------------------------------------|-------|----------------------|--------------|----------------|----------------------|--------------|-----|----------------------|--------------|
| | | | देय | बिल्कुल प्राप्त नहीं | पत्राचाराधीन | देय | बिल्कुल प्राप्त नहीं | पत्राचाराधीन | देय | बिल्कुल प्राप्त नहीं | पत्राचाराधीन |
| 1. | कृषि | 2013 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | | 2015 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2. | रसायन एवं उर्वरक | 2013 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 3. | नागरिक उड्डयन | 2015 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 4. | उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण | 2011 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | | 2014 | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 |
| | | 2015 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| 5. | कोयला | 2015 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 1 |

| क्र.सं. | मंत्रालय/विभाग का नाम | समाप्त मार्च वर्ष के लिए प्रतिवेदन | सिविल | | | स्वायत्त निकाय | | | कुल | | |
|---------|--|------------------------------------|-------|----------------------|--------------|----------------|----------------------|--------------|-----|----------------------|--------------|
| | | | देय | बिल्कुल प्राप्त नहीं | पत्राचाराधीन | देय | बिल्कुल प्राप्त नहीं | पत्राचाराधीन | देय | बिल्कुल प्राप्त नहीं | पत्राचाराधीन |
| 6. | वाणिज्य एवं उद्योग वाणिज्य विभाग | 2015 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 7. | भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद वाणिज्य एवं उद्योग विभाग | 2014 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 8. | संस्कृति | 2011 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| | | 2012 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | | 2013 | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 |
| | | 2014 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | | 2015 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | 5 | 5 | - |
| 9. | पेयजल एवं स्वच्छता | 2014 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 10. | विदेश | 2015 | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 |

| क्र.सं. | मंत्रालय/विभाग का नाम | समाप्त मार्च वर्ष के लिए प्रतिवेदन | सिविल | | | स्वायत्त निकाय | | | कुल | | |
|---------|-----------------------------|------------------------------------|-------|----------------------|--------------|----------------|----------------------|--------------|-----|----------------------|--------------|
| | | | देय | बिल्कुल प्राप्त नहीं | पत्राचाराधीन | देय | बिल्कुल प्राप्त नहीं | पत्राचाराधीन | देय | बिल्कुल प्राप्त नहीं | पत्राचाराधीन |
| 11. | वित्त | 2015 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
| 12. | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 2008 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | | 2009 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | | 2010 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | | 2011 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | | 2013 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 |
| | | 2014 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 |
| | | 2015 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 4 | 1 |
| 13. | गृह | 2014 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | | 2015 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | - |
| 14. | मानव संसाधन विकास | 2004 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | | 2006 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |

| क्र.सं. | मंत्रालय/विभाग का नाम | समाप्त मार्च वर्ष के लिए प्रतिवेदन | सिविल | | | स्वायत्त निकाय | | | कुल | | |
|---------|------------------------------|------------------------------------|-------|----------------------|--------------|----------------|----------------------|--------------|-----|----------------------|--------------|
| | | | देय | बिल्कुल प्राप्त नहीं | पत्राचाराधीन | देय | बिल्कुल प्राप्त नहीं | पत्राचाराधीन | देय | बिल्कुल प्राप्त नहीं | पत्राचाराधीन |
| | | 2007 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | | 2008 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | | 2010 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | | 2011 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | | 2013 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | | 2014 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| | | 2015 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
| 15. | सूचना एवं प्रसारण | 2015 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - |
| 16. | श्रम एवं रोजगार | 2014 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| 17. | विधि एवं न्याय | 2003 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 18. | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम | 2015 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 |

| क्र.सं. | मंत्रालय/विभाग का नाम | समाप्त मार्च वर्ष के लिए प्रतिवेदन | सिविल | | | स्वायत्त निकाय | | | कुल | | |
|---------|------------------------------|------------------------------------|-------|----------------------|--------------|----------------|----------------------|--------------|-----|----------------------|--------------|
| | | | देय | बिल्कुल प्राप्त नहीं | पत्राचाराधीन | देय | बिल्कुल प्राप्त नहीं | पत्राचाराधीन | देय | बिल्कुल प्राप्त नहीं | पत्राचाराधीन |
| 19. | अल्पसंख्यक कार्य | 2015 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 20. | पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस | 2015 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
| 21. | विद्युत | 2012 | 1 | - | 1 | | | | | | |
| | | 2013 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 |
| | | 2015 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 22. | ग्रामीण विकास | 2010 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | | 2012 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | | 2015 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| 23. | पोत परिवहन | 2013 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | | 2015 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 24. | कौशल विकास एवं उद्यमिता | 2014 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 25. | सामाजिक न्याय एवं | 1996 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |

| क्र.सं. | मंत्रालय/विभाग का नाम | समाप्त मार्च वर्ष के लिए प्रतिवेदन | सिविल | | | स्वायत्त निकाय | | | कुल | | |
|---------|-------------------------------------|------------------------------------|-------|----------------------|---------------|----------------|----------------------|---------------|-----|----------------------|---------------|
| | | | देय | बिल्कुल प्राप्त नहीं | पत्राचारा धीन | देय | बिल्कुल प्राप्त नहीं | पत्राचारा धीन | देय | बिल्कुल प्राप्त नहीं | पत्राचारा धीन |
| | अधिकारिता | 2003 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | | 2006 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | | 2015 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 26. | सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन | 2014 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| 27. | कपड़ा | 2015 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 28. | पर्यटन | 2015 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 29. | जनजातीय मामले | 2014 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 30. | शहरी विकास | 2015 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | | 2016 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 31. | महिला एवं बाल विकास | 2015 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 32. | युवा मामले एवं खेल | 2010 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | | 2011 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |

| क्र.सं. | मंत्रालय/विभाग का नाम | समाप्त मार्च वर्ष के लिए प्रतिवेदन | सिविल | | | स्वायत्त निकाय | | | कुल | | |
|---------|-----------------------|------------------------------------|-----------|----------------------|--------------|----------------|----------------------|--------------|------------|----------------------|--------------|
| | | | देय | बिल्कुल प्राप्त नहीं | पत्राचाराधीन | देय | बिल्कुल प्राप्त नहीं | पत्राचाराधीन | देय | बिल्कुल प्राप्त नहीं | पत्राचाराधीन |
| | | 2012 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | | 2013 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | | 2014 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| | | 2015 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| | कुल | | 63 | 25 | 38 | 54 | 26 | 28 | 117 | 51 | 66 |